न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—91/2019/223 (2019/00091)

1. रसाल पत्नि किशनलाल जाति जाट, निवासी मेवदाकलां, तहसील केकड़ी जिला अजमेर ।
2. रोडी पुत्री किशनलाल, जाति जाट, निवासी मेवदाकंला, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. कमला पुत्री नानूलाल,
2. रामकन्या पुत्र नानूलाल,
3. गोपाल पुत्र नानूलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   3/1— पार्वती पत्नि गोपाल,
   3/2— आशा पुत्री गोपाल,
   3/2— मंशा पुत्री गोपाल,
   3/4— भागचन्द पुत्र गोपाल,
   3/5— पूजा पुत्री गोपाल,
   3/6— फोरिया पुत्री गोपाल,
4. पोखर पुत्र सुखा,
   जाति जाट, निवासी मेवदाकंला, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड, केकड़ी दिनांक 20.5.2017 अंतर्गत वाद संख्या 187/2014.

उपस्थितः—

1. श्री शिप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हंगामीलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3/1 से 4 अनुपस्थित ।
4.

निर्णय

दिनांकः— 31.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वद अंतर्गत धारा 53, 188 एवं 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अपीलांटस के विरूद्ध

पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 410 में कुल रकबा 9.00 है0 भूमि, खाता संख्या 408 कुल किता 2 कुल रकबा 1.66 है0, खाता संख्या 106 के खसरा नंबर 2499 रकबा 0.41 है0, खाता संख्या 107 के खसरा नंबर 2143 रकबा 0.15 है0 भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण मुताबिक जमाबंदी उनके हिस्से अनुसार काबिज है एवं प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के हिस्से की फसल को नष्ट भ्रष्ट करते है तथा लड़ाई झगडा करते है । अतः वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने वाद में दिनांक 11.6.2015 को प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने दिनांक 20.5.2017 को पत्रावली को कैम्प कोर्ट मेवदाकंला में रखकर वाद में दिनांक 20.5.2017 को वाद डिक्री कर अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना अपीलांटस को अंतिम डिक्री के नोटिस तामील कराये एकतरफा में अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अंतिम डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 20.5.2015 को बिना बंटवारा प्रस्ताव के बाबत् अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया एव ना ही बंटवारा प्रस्ताव बाबत् कोई आपत्तिया आमंत्रित की गई जबकि राज0काश्त0अधि0 1955 के बंटवारा के नियमों के तहत सभी सह खातेदारों को नोटिस जारी किया जाकर आपत्तियां आमंत्रित किए जाने के निर्देश प्रदान करते हुए निर्णय पारित करना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने विधिक प्रकिया के प्रतिकूल अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज किया कि बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय मौके पर स्वंय लैण्ड होल्डर को उपस्थित होकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है इसके बावजूद सरसरी तौर पर बिना तहसीलदार के मौके पर गये पटवारी हल्का द्वारा ही बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये जाकर अधी0न्याया0 को भिजवाये गये है जिसके आधार पर पारित अंतिम डिक्री विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने राज0काश्त0अधि0 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । बंटवारा के नियमों के तहत जहां तक संभव हो जमीन के टुकड़े नहीं किये जावेगें इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने उक्त प्रकरण में भूमि के अनेक टुकड़े करते हए अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध है । अधी0न्याया0 ने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.6.2015 की अनुपालना के लिए दिनांक 18.9.2017 को पालना रिपोर्ट के लिए पत्र जारी किये जाने का उल्लेख किया वही दूसरी तरफ उन्हीं की ओर से फर्द अहकाम पर दिनांक 20.5.2017 को ही बंटवारा प्रस्ताव संलग्न कर निर्णय पारित किया गया है जो परस्पर विरोधाभाषी है । अधी0न्याया0 को लगान का भी बंटवारा किया जाना चाहिये इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने लगान का बंटवारा नहीं किया जो विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 258, आर0आर0डी0 1984 पेज 111 के न्यायिक दृष्टांत एवं राजस्थान

टिनेन्सी नियम 1955, एवं राज0 टिनेन्सी नियम 1955 के नियम 18 से 21 पेश किये ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली में दिनांक 24.3.2015 को प्रार्थीगण के नाम पुनः नोटिस तलवाना पेश करने बाबत् आदेश प्रदान किया तत्पश्चात् दिनांक 8.5.2015 की तारीख पेश नियत की गई व दिनांक 8.5.2015 से दिनांक 11.6.2015 को कैम्प कोर्ट मेवदाकंला में प्रकरण को नियत करके एकतरफा में निर्णय पारित करदिया गया व दिनांक 11.6.2015 को ही पत्रावली में बिना प्रार्थीगण को अंतिम डिक्री के नोटिस जारी किये पत्रावली को बंटवारा प्रस्ताव हेतु नियत करने का आदेश प्रदान कर दिया एवं दिनांक 20.5.2017 को अंतिम डिक्री पारित कर दी गई । जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं हो सकी । दिनांक 21.2.2019 को प्रार्थिया अपने खातों की नकल लेने हेतु हल्का पटवारी के पास गई तब पटवारी ने बताया कि आपके प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव के बाबत् कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है तब प्रार्थिया ने अपने अधिवक्ता से जानकारी की तब अधिवक्ता ने न्यायालय के रीडर से पता किया तब अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई । दिनांक 21.2.2019 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 22.2.2019 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 11.6.2015 को पक्षकारों की मौजूदगी में निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई थी जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को थी । अधी0न्याया0 द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब कर विधिनुसार वाद में अंतिम डिक्री पारित की गई है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को प्रकरण के गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का वाद दिनांक 11.6.2015 को स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् तहसीलदार से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 20.5.2017 को वाद में अंतिम डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.6.2015 के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 88/2019/223 बउनवान रसाल बनाम कमला व अन्य पेश की गई है जो न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 31.3.2021 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.6.2015 को निरस्त कर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया है । चुंकि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनाक 11.6.2015 निरस्त होने से अधी0न्याया0 द्वारा प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.5.2017 भी स्वतः ही सारहीन हो जाती

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.5.2017 निरस्त योग्य पायी जाती है।

9. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.5.2017 निरस्त की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 31.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर